## * भारत का महान्यायवादी ( अनुच्छेद - 76 )*
( Attorney General of India )

* यह भारत का प्रथम एवं सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
* इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
* इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त / 3 वर्ष होता है। इसको पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है।
* महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होना आवश्यक है।
* महान्यायवादी एकमात्र ऐसा अधिकारी संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी इसके दोनो सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदन को संबोधित कर सकता है। सदन में सरकार का पक्ष रख सकता है। परन्तु सदन में मत नहीं दे सकता।
* यह भारत क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में बैठकर कानूनी मामलो की सुनवाई कर सकता है।
* इसका कार्य केन्द्र सरकार को कानूनी मामलो में सलाह देना तथा न्यायालय में केन्द्र सरकार की पैरवी / पक्ष रखना होता है।
* • वर्तमान महान्यायवादी - के. के वेणुगोपाल (30 जून 2017) (15 वें)

## * नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ( अनुच्छेद - 148 )*
( Comptroller and Auditor General - CAG )

* इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
* इसका कार्यकाल 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु होता है।
* इसको पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान - महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है।
* यह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
* इसे जनता के धन / सार्वजनिक धन का "संरक्षक अधिकारी" माना जाता है।

Art 368 → संविधान संशोधन की प्रक्रिया → द. अफ्रीका की विधियाँ

अनुच्छेद → 265 – संसद की अनुमति के बिना कर नहीं
266 → संचित निधि
267 → आकस्मिक निधि
116 → लेखानुदान का उल्लेख 1/6 राशि खर्च Advance check.

* यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है।
* इसे वेतन, भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है।
* इसका कार्य केन्द्र व राज्य सरकारो के द्वारा किये जाने वाले खर्चों के लोकलेखाओ का परीक्षण करना होता है।
* वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक = ~~राजीव महर्षि~~ गिरीश चंद मुर्मू

## * भारत के प्रमुख आयोग *

## 1. नीति आयोग (NITI) →

(National Institution for transforming India)
(भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान – NITI)

* इसका गठन 1 जनवरी 2015 (योजना आयोग 1950 के स्थान पर) हुआ।
* इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। यह संवैधानिक आयोग नहीं है। यह असंवैधानिक है।
* इसका गठन राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा हुआ है। अतः यह कानूनी / विधिक / वैधानिक / सांविधिक आयोग है।
* इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है।
* इसमे 3 पूर्णकालिक / स्थायी सदस्य है।
* इसमे 4 अंशकालिक सदस्य होते है यह केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री होते है।
* इसमे 3 विशेष आमंत्रित सदस्य होते है।
* इसमे एक कार्यकारी परिषद होती है इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक / उपराज्यपाल होते है।
* इसके उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
* इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
* इनको पद से भी प्रधानमंत्री हटाता है।
* इसके कार्य निम्न है →

1. देश के विकास के लिए 7 वर्षीय रोडमैप तथा 15 वर्षीय विजन कार्ययोजना एवं रणनीति तैयार करना।
2. केन्द्र एवं राज्यों के मध्य सहयोगी संघवाद की स्थापना करना।
3. देश के लिए बौद्धिक संस्थान (Think Tank) का कार्य करना।

* वर्तमान उपाध्यक्ष - राजीव कुमार

## 2. राष्ट्रीय विकास परिषद → (NDC)
(नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल)

* इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ है।
* इसका प्रावधान संविधान में नहीं है।
* इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है।
* सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक इसके पदेन सदस्य होते हैं।
* इसे सर्वोच्च मंत्रीमण्डल / सुप्रिम कैबिनेट भी कहते हैं।
* इसका कार्य विकास की योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना तथा उसकी प्रकृति की समीक्षा करना है।

## 3- अन्तर्राज्यीय परिषद (अनुच्छेद - 263) →

* इसका गठन 28 मई 1990 को हुआ है।
* इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है।
* सभी राज्यों के मुख्यमंत्री + सभी केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासक एवं 6 केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं।

* इसका कार्य केन्द्र एवं राज्यों के मध्य तथा आपस में राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान ढूंढना है।

## 4. केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुच्छेद - 280) →

* इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है।
* इसके 1+4 = 5 सदस्य होते हैं।
* इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
* इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
* इनको पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है।
* इसका अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव होना अनिवार्य है।
* ★ प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था।
* इसके अध्यक्ष के.सी नियोगी (क्षितिज चन्द्र नियोगी) थे।
* वर्तमान में 15वाँ वित्त आयोग कार्यरत है। इसके अध्यक्ष - N.K सिंह (नंदकिशोर सिंह) है।

* इसका कार्य केन्द्र एवं राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सलाह राष्ट्रपति को देना होता है।

## 5. संघ लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद - 315) →

* इसका गठन भारत शासन अधिनियम 1919 में किये गये प्रावधान के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को इसे ~~संघ~~ 'संघ लोक सेवा आयोग' बना दिया।

* इसमे 1+10 = 11 सदस्य है।
* इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
* इनका कार्यकाल 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु होता है।
* इनको पद से उच्चतम न्यायालय की सलाह से राष्ट्रपति हटाता है।
* इनको वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
* यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है।

इसे सलाहकारी आयोग माना जाता है।
* इसका कार्य अखिल भारतीय एवं प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती या चयन करना, उनकी पदोन्नति एवं उन पर अनुशासनहीनता की कारवाई करने की सलाह राष्ट्रपति को देना है।
* प्रथम अध्यक्ष — सर रॉस बार्कर (1926)
* प्रथम भारतीय अध्यक्ष — H.R कृपलानी (1947)
* वर्तमान अध्यक्ष — ~~अरविंद सक्सेना~~ डॉ प्रदीप कुमार जोशी

## 6. भारतीय निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद-324)

* इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है।
* इसमे 1 मुख्य व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते है।
* इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
* इनका कार्यकाल 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु होता है।
* ~~इसके पद~~ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है।
* अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति हटाता है।
* इनको वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त होती है।
* इसके प्रमुख कार्य निम्न है→

1. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद एवं राज्य विधानमण्डलों के चुनाव का निर्देशन, पर्यवेक्षण, संचालन एवं संपादन करना।

2. राजनैतिक दलों को मान्यता देना, उनकी मान्यता को समाप्त करना एवं उन्हे चुनाव चिह्न आवंटित करना।

3. मतदाता सूचियाँ एवं फोटो पहचान पत्र बनवाना।